

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/16720 /

जबलपुर, दिनांक 28/12/2021

श्री राम आसरे, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को कार्यालय में दिनांक 01.12.2021 से लगातार अपने कर्तव्य पर बिना सूचना आवेदन पत्र के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण उनके कर्तव्य पर उपस्थित होने तथा अनाधिकृत अनुपस्थिति का निराकरण होने तक वेतन का भुगतान आगामी आदेश तक रोका जाता है।

सही/-

(प्रियदर्शन शमा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक D/16721 /

जबलपुर, दिनांक 28/12/2021

प्रतिलिपि :-

- सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
- असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
- सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
- दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- श्री राम आसरे, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(प्रियदर्शन शमा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)